



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/३५७४

दिनांक : 19.04.2021

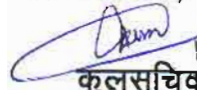
सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय/महोदया,

कोविड महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में शासनादेश सं० 1064/सत्तर-3-2021-0(8)20/2020, दिनांक 15.04.2021 के बिन्दु 3 के अन्तर्गत दिये गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में कुलपति जी के निर्देशानुसार निम्नानुसार अवगत कराना है कि—

1. शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण कार्य संस्थान परिसर अथवा अपने घर से किये जाने के बारे में विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य अपने परिक्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण तथा सम्भावनाओं की परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्वयं निर्णय ले सकेंगे।
2. घर से शिक्षण कार्य की अनुमति की दशा में जिन शिक्षकों को इन्टरनेट इत्यादि की समस्या है, वे संस्थान में भी आकर कक्षाएं ले सकते हैं।
3. महाविद्यालय/संस्थान शिक्षण हेतु उन्नत LMS का प्रयोग करते हुए, विशेषतः शिक्षण से सम्बन्धित Grievance पोर्टल एवं प्रति कक्षा Feedback के माध्यम से, समय सारिणी के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य सुनिश्चित करेंगे। प्राचार्य/शिक्षक, संस्थान/व्यक्तिगत स्तर पर ऑनलाईन माध्यम से कराए गए शिक्षण कार्य का पूरा रिकार्ड सुरक्षित रखेंगे।
4. Grievance पोर्टल एवं Feedback के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय को ई-मेल registrar@ccsuniversity.ac.in पर सूचित करने का दायित्व महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
4. उपरोक्त आदेश 'क' समूह से सम्बन्धित शिक्षक समकक्ष एवं शिक्षण कार्य हेतु अनुदेशित कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
5. किसी भी परिस्थिति में शिक्षक एवं वर्ग 'क' के उपरोक्त कर्मचारी महाविद्यालय/संस्थान हेतु उपलब्ध रहेंगे।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :- सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


कुलसचिव